Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
May 2024 5(5), 1201–1208

PEASANT AND LANDLORD REBELLION IN MEWAT IN THE LATE 17TH AND EARLY 18TH CENTURIES

17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी के प्रारंभ में मेवात में किसान एवं जमींदार विद्रोह

Puja Sahu [1], Subhash Balhara [2]

[1] Research Scholar, Department of History and Archaeology, Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana.
[2] Associate Professor, Government PG College for Women, Rohtak, Haryana

Corresponding Author
Puja Sahu,
Pooja.rs.history@mdurohtak.ac.in

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i5.2024.2882

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: We know that the Mughal Empire, which was the strongest empire in the whole of Asia, stood in a centralized and strong position for about 150 years. The real strength of the Mughal Empire was its powerful cavalry army which was governed by the Mansabdari system. The Mansabdars had to collect land revenue by efficiently managing their jagirs, using which they made their army strong. But the main objective of the Mansabdars was to collect as much land revenue as possible from the farmers, due to which the farmers were exploited. In the beginning of the 18th century, this empire started tottering and soon collapsed. When the crisis of Mansabdari and Jagirdar arose in the Mughal Empire, the exploitation of the farmers became more intense. On the other hand, many non-customary taxes were imposed on them under the Ijaradar system. Therefore, the farmers were forced to revolt against the royal Mansabdars and Ijaradar. In this research paper, an attempt has been made to specifically describe the revolt of the farmers and landlords against the Ijaradar system in the Mewat region..

Hindi: हम जानते हैं कि मुगल साम्राज्य, जो कि पूरे एशिया का सबसे मजबूत साम्राज्य था, लगभग 150 सालों तक एक केंद्रीकृत एवं सुदृढ़ स्थिति में खड़ा रहा। मुगल साम्राज्य की असली ताकत उसकी शक्तिशाली अश्वरोही सेना थी जो मनसबदारी व्यवस्था से संचालित होती थी। मनसबदारों को अपनी जागीरो में कुशल संचालन करके भूराजस्व एकत्रित करना होता था जिसके प्रयोग से वह अपनी सेना को शक्तिशाली बनाते थे। लेकिन मनसबदारों का मुख्य उद्देश्य किसानों से अधिक से अधिक भूराजस्व वसूल करना था जिसके कारण किसानों का शोषण होता था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही यह साम्राज्य लड़खड़ाने लगा और शीघ्र ही धराशाही हो गया। जब मुगल साम्राज्य में मनसबदारी एवं जागीरदार संकट उत्पन्न हुआ तब किसानों पर होने वाला शोषण और तीव्र हो गया दूसरी तरफ से इजारादारी व्यवस्था के अंतर्गत उनके ऊपर बहुत सारे गैर प्रथागत करों को थोप दिया गया। इसलिए किसानों को शाही मनसबदारों एवं इजारेदारों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने पर विवश होना पड़ा। इस शोध पत्र में मेवात क्षेत्र के अंतर्गत किसानों एवं जमींदारों के इजारादारी व्यवस्था के खिलाफ हुए विद्रोह का विशेष वर्णन करने का प्रयास किया गया है।

Keywords: Mughal Empire, Mewat, Amer, Jat, Naruka, Ijara, Zamindar, मुगल साम्राज्य, मेवात, आमेर, जाट, नरुका, इजारा, जमींदार

1. प्रस्तावना

हरियाणा में किसान विद्रोह की शुरुआत मध्यकाल से मानी जाती है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत से ही हमें प्रशासन के विरोध स्वरूप किसान विद्रोह देखने को मिलते हैं। जिनकी व्यापकता मुगल साम्राज्य के पतन के समय अत्यंत तीव्र हो जाती है। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक कृषि एवं ग्रामीण विद्रोह हुए। मनसबदारी एवं जागीरदारी व्यवस्था में संकट और इजारादारी व्यवस्था के अत्यधिक विकास के कारण किसान विद्रोह अत्यधिक तीव्र हो गये। आगरा, दिल्ली और अजमेर के बीच के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर कृषि विद्रोह हुए। मेवात क्षेत्र भी इसमें शामिल था जहां विभिन्न किसान जातियों और राजपूत कुलों ने राज्य के बढ़ते राजकोषीय प्रभाव एवं जमींदारी शोषण के खिलाफ विद्रोह किया।

मेवात क्षेत्र जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान रखता है, मध्यकाल से ही भारतीय इतिहास में अपने गौरवशाली अतीत को संजोए हुए है। सल्तनत काल के दौरान मेवों की पहचान विशेष रूप से मेवात क्षेत्र की अरावली पहाड़ियों, घाटियों और घने जंगलों में रहने वाली जनजातियों के रूप में की जाती थी जो मवेशियों को उठाने, चोरी एवं लूटपाट करने के लिए जाने जाते थे। हालाँकि, समय बीतने के साथ उनकी पहचान में एक बड़ा परिवर्तन देखा जाता है। जल्द ही ये लोग न केवल किसान बन गए बल्कि अपनी जमींदारी स्थापित करने में भी सक्षम हो गए। मुगल काल के दौरान हम उन्हें कई अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायों में लगे हुए देखते हैं। अकबर ने यहां के खानजादा प्रमुखों को जमींदारी अधिकारी प्रदान कर मुगल प्रशासन में शामिल कर लिया था। कमजोर मुगल प्रशासन, विशेष रूप से औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्थानीय शक्तिशाली जमींदारों को बड़े इलाके इजारा पर देने की प्रथा का विस्तार हुआ। सवाई जयसिंह ने अपने वतन के आसपास के क्षेत्र या तो सीधे मुगल सम्राट से या शाही जागीरदारों से अपने लिए इजारा के रूप में हासिल किये। मुगल दरबार में एक उच्च पद प्राप्त होने के कारण उन्होंने आसानी से वैध इजारा अधिकार प्राप्त कर लिए जो उनके वतन से कहीं अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। मेवात क्षेत्र भी आमेर राजा को इजारा के रूप में प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम 1643 में, आमेर राजा को मेवात के 14 महालों में जागीर सौंपी गई थी।1 1650 में कीरत सिंह (आमेर प्रमुख मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र) को मेवात का फौजदार नियुक्त किया गया था, जिसे इस क्षेत्र के मेव विद्रोहियों को कुचलना का निर्देश दिया गया था। जिसके अधिकार क्षेत्र में 44 परगने आते थे, जिनमें से 37 परगने अलवर, तिजारा, पहाड़ी और नारनौल सरकारों के थे।2 इसी प्रकार उन्हें खोहरी, उनियारा, सोंखर सोंखरी, अटेला भावरा, पिरागपुर आदि परगने इजारा के रूप में प्राप्त हुए।3 इस प्रकार 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल दरबार में अपने प्रभाव को भुलाकर शाही मनसबदारों और फौजदारों की जागीरों के इजारा, थानेदारी और जमींदारी अधिकारों को हासिल करके आमेर प्रमुखों ने व्यवस्थित रूप से अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार करने की कोशिश की।

इस प्रकार आमेर शासकों ने शाही मनसबदारों, जागीरदारों और फौजदारों से उनकी जागीरों के अंतर्गत आने वाले मेवात के कई परगनों का इजारा (राजस्व संग्रह का अधिकार), जमींदारी और थानेदारी हासिल कर ली और इन क्षेत्रों के मेव किसानों पर कई गैर प्रथागत कर लगा दिए। यह मुख्य रूप से इजारा देने की इस प्रथा का विस्तार था, जिसके परिणामस्वरुप गैर प्रथागत कर लगाने और वसूलने से किसानों का शोषण तेज हो गया और इस तरह इजारा प्रथा ने क्षेत्र में किसान विद्रोह एवं अन्य विरोधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आमेर शासको ने मेव किसानों को नियंत्रित करने और अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए इन परगनों, गांवों और कस्बों में बड़ी संख्या में थाने स्थापित किए। इन परगनों में भूराजस्व के अलावा विभिन्न नए गैर प्रथागत कर लगाए, जो की मेवात के किसानों से पहले कभी भी नहीं वसूले गए थे।

मेवात क्षेत्र में भूराजस्व दो तरह से लिया जाता था पहले फसल बटवारा जिसे 'बटाई जिंसी' के नाम से जाना जाता था और दूसरा 'जब्त' या नकदी प्रणाली थी। यह दोनों तरीके परगना-दर-परगना और मौसम-दर-मौसम भिन्न-भिन्न थे। दोनों तरीकों के अपने गुण और दोष थे इसलिए शासकों और किसानों के लिए उनकी उपयोगिता की धारणा अलग-अलग थी।4 कभी-कभी निश्चित संग्रह भी किया जाता था, जिसे 'बिल मुक्ता' कहते थे बिल मुक्ता का वास्तव में मतलब एक मुश्त या पूरा था।5 साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि अवज्ञा की संभावना वाले क्षेत्र से (जोरतलब) बिल मुक्ता के रूप में भूराजस्व वसूल किया जाता था।6

किसानों को राज्य द्वारा मांगे गए भूराजस्व को पूरा करने के लिए फसल बटवारा प्रणाली के तहत कुल उपज का 50 प्रतिशत हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था। चाहे परगना खालसा के अधीन हो या जागीर के अधीन, एक ही दस्तूर लागू किया जाता था।7

नियमित मूल्यांकन के कार्यों को पूरा करने के लिए एक बड़ी सेना की भर्ती की गई। इसी प्रकार फसल बटवारा प्रणाली के तहत फसलों की सुरक्षा के लिए चैकीदारों का एक बेड़ा रखना पड़ता था। भूमि के मूल्यांकन और राजस्व संग्रह पर खर्च किए जाने वाला संपूर्ण व्यय किसानों से विभिन्न उपकरों के रूप में लिया जाता था जिसे स्थानीय रूप में 'वाव' कहा जाता था (जो फारसी शब्द अबवाव का स्थानीय संस्करण प्रतीत होता है)। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपकरों का उल्लेख इस प्रकार है-

जब्ती क्षेत्र में जरीबाना (मापने वाली रस्सी पर व्यय) 28 दाम प्रति बीघे की दर से लिया जाता था।8 जबिताना (मापने वाली पार्टी का दैनिक खर्च) की दर 15 दाम प्रति बीघा थी।9 खेती के तहत प्रत्येक 100 बीघा भूमि पर 2 रुपए की दर से रोजिना जब्ती (मूल्यांकन पर दैनिक खर्च) लिया जाता था।10 दहमीनी (अर्थात 10 का आधा भाग) की दर प्रत्येक जब्ती रुपए पर एक टका थी।11 प्रत्येक 100 जब्ती रूपए पर आधा टका सरही (जब्ती फसलों के मूल्यांकन से संबंधित एक उपकर) के रूप में लिया जाता था।12

इसी प्रकार फसल बटवारा प्रणाली में भी भारी खर्च शामिल था जो किसानों से वसूला जाता था। इस प्रणाली के तहत उपकर का कुल बोझ बहुत बड़ा था। 'फराह-सेरीना' फसल बटवारा प्रणाली में सबसे बड़ा उपकर था। यह प्रति व्यक्ति 2 से 5 सेर के बीच था।13 टंकीना (टका में एकत्रित कर) और भार (अनाज के परिवहन पर व्यय) क्रमशः प्रति व्यक्ति एक टका की दर से वसूला जाता था।14 एक और महत्वपूर्ण कर लाटा खरच (फसल विभाजन पर व्यय) था जो प्रति व्यक्ति एक सेर की दर से लगाया गया था।15

इन उपकरों के अलावा, विभिन्न ग्रामीण अधिकारियों एवं शक्तिशाली लोगों को दिए जाने वाले अनुलाभ भी करों के रूप में किसानों से वसूले जाते थे। जिनमें सबसे प्रमुख 'भोम' कर था। अधिकांश परगनों में भोम उपकर भूराजस्व का 3 प्रतिशत होता था।16 परगना अटेला में भोम की दर माल के 6.25 प्रतिशत तक थी।17 एक अलग उपकर, 1.25 से 2.50 प्रतिशत तक चैधरी और कानूनगो का पारिश्रमिक चुकाने के लिए किसानों से शुल्क के रूप में लिया जाता था, जिसे दस्तूर चैधराई और कानूनगोई कहा जाता था।18 इसी प्रकार पटवारी को भुगतान की भरपाई के लिए भू राजस्व के एक प्रतिशत की दर से दस्तूर पटवारा लगाया जाता था।19 दीवान के भुगतान को अदा करने के लिए दो प्रतिशत की दर से दीवान दस्तूरी नमक उपकर लगाया जाता था।20 वाकिया नवीस (समाचार लेखक) के लिए भी राजस्व का एक प्रतिशत हिस्सा किसानों से लिया जाता था।21 फोतदारों (कोषाध्यक्षों)

को एक अलग उपकर का भुगतान किया जाता था जो भूराजस्व का एक प्रतिशत होता था।22 सभी परगनों के किसानों से एक प्रतिशत की समान दर पर एक सादिर उपकर (खराज-ओ-सादिर-ओ-वारिद का संक्षिप्त रूप) अधिकारियों की यात्राओं के दौरान उनकी जरूरत का ध्यान रखने के लिए किए जाने वाले खर्च के रूप में वसूला जाता था।23

ऊपर उल्लिखित भू राजस्व और अन्य उपकर किसानों से वसूल किए जाने वाले एकमात्र कर नहीं थे बल्कि उन्हें अपने पशुधन एवं कृषि उपकरणों के लिए भी भुगतान करना पड़ता था। इस प्रकार उन्हें प्रत्येक बैल, गाय, भैंस और बकरी पर अलग-अलग कर के रूप में एक टका का भुगतान करना पड़ता था।24 जिनके पास कुल्हाड़ी होती थी, उन्हें प्रत्येक कुल्हाड़ी के लिए एक रुपया देना पड़ता था।25

किसानों को चारागाह भूमि पर अपने किसानों को चराने के लिए भी कर देना पड़ता था। किसानों को परगना अधिकारियों को नियमित रूप से भुगतान की जाने वाली विभिन्न सलामी (अभिवादन शुल्क) और भेंट (प्रस्तुति) के अधीन भी रखा गया था। किसानों को व्यक्तिगत रूप से ऐसे करों का भुगतान करने के लिए नहीं कहा गया था बल्कि यह कर पूरे गांव से एक इकाई के रूप में लिए जाते थे। उनकी संख्या और मात्रा परगने से परगने तक भिन्न-भिन्न होती थी क्योंकि आमिल और अमीनो की संख्या भी भिन्न-भिन्न थी। प्रत्येक गांव में दीवान, फौजदार, आमिल और अमीनो (जिनकी संख्या एक परगना में दो से चार तक होती थी) से भेंट या सलामी के रूप में एक-एक रुपया लिया जाता था।26 गरीब किसानों से एक सामान्य वित्तीय कर 'मालबा' भी वसूल किया जाता था। गांव के घरुहल्ला किसानों को मालवा में अपना हिस्सा देने से छूट दी गई थी।27

कुछ अन्य उपकर भी लगाए गए थे, जो सभी परगनों से समान रूप से नहीं वसूले जाते थे, केवल कुछ विशिष्ट घटना के लिए कुछ परगनों से लिए जाते थे। परगना मालपुरा में इस तरह के दो उपकर थे- हासिल मुहर्रिरना (चार रुपए प्रति गांव की दर से मुंशी का बकाया) और हासिल लवाजमा (आमिल के दरबार में विभिन्न नौकरों को भुगतान करने के लिए छः रुपए प्रति गांव की दर से)।28 दो परगनों में हलों पर कर लगाया गया। बहतरी में इसे हलकाती कहा जाता था और प्रत्येक 500 रुपए प्रति माल के लिए एक रुपए की दर से शुल्क लिया जाता था।29 जबकि दूसरे परगने में इसे हलसारी कहा जाता था और इसकी दर 6 आने प्रति हल थी।30 प्रत्येक गांव से एक नियमित कर, जिसकी राशि स्पष्ट रूप से परगना से परगना तक भिन्न-भिन्न होती थी, आमिल के दरबार में स्याही कागज, धागे व रस्सियां आदि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए भूराजस्व का 4 प्रतिशत लिया जाता था।31

फसल बटवारा प्रणाली के अंतर्गत मूल्यांकन फसलों की देखभाल करने के लिए बड़ी संख्या में चैकीदारों (सेहना) को नियुक्त किया जाता था। इन चैकीदारों का वेतन भी किसानों से दो विशेष प्रकार के करो 'चक सेहना और 'घूघरी सेहना' को लगाकर एकत्रित किया जाता था।32 कुछ परगनों में आमिल द्वारा किसानों को फसल की कटाई शुरू करने की अनुमति प्रदान करने वाला एक पत्र जारी किया जाता था। इस पर एक उपकर लगाया गया जिसे हासिल चिठ्वान या हासिल बलकती या हासिल फसलाना कहा जाता था जो कि प्रत्येक गांव से एक रुपए था।33

अधिकांश परगनों में गांव के स्थाई निवासियों से एक प्रकार का गृह कर वसूल किया जाता था। उन सभी परगना में जहां आमेर शासक ने अपने जमींदारी अधिकारों का दावा किया था, अक्सर एक विशेष उपकर लगाया जाता था। राजघराने के किसी भी सदस्य के विवाह के अवसर पर किसानों को न्योता कर देना पड़ता था।34 इस कर की मात्रा 1665 और 1697 के बीच दुगनी कर दी गई जो किसानों के लिए एक अन्य परेशानी का कारण बनी।

जहां भी भूमि की सिंचाई नहरों के पानी से की जाती थी, उस स्थान पर भी राज्य द्वारा कर लगाया जाता था। पहाड़ी परगना में नहर के पानी का उपयोग करने वाले किसानों और भोमियों को अपनी उपज का क्रमशः पांच और चार प्रतिशत भुगतान करना पड़ता था।35

आमेर शासकों को जागीर तथा इजारा में प्राप्त हुए क्षेत्र के लिए शाही जागीरदारों एवं मनसबदारों को पेशकश देनी होती थी। आमेर शासकों ने पेशकश देने की व्यवस्था को भी किसानों के ऊपर अतिरिक्त भार के रूप में डाल दिया। पेशकश के रूप में दी जाने वाली यह धनराशि परंपरागत रूप से आमेर शासकों के अपने खजाने से निकाली जाती थी लेकिन अब इस राजकोषीय मांग को किसानों पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया, जिन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। आमेर शासकों ने विरार नामक एक विशेष मद के तहत किसानों से यह राशि एकत्रित की।36 परगना-दर-परगना विरार की राशि भिन्न-भिन्न होती थी। जिसे इस तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है-

प्रगना	विरार का प्रतिशत	वर्ष
चाटसू	10	1664
टोंक	14-5	1708
हिंडौन	11	1718
भुसावर	25	1731
खोहरी	15	1714
Source: R.P.Rana, Revels to Rulers, The Rise of Jat Power in Medieval India: 1665-1735, Manohar, Delhi, 2006, pp. 91.		

इस प्रकार अनियमित वसूली को छोड़कर, किसानों से प्राप्त कुल अधिशेष जब्ती प्रणाली के तहत 52 प्रतिशत से अधिक और बटाई प्रणाली के तहत लगभग 65 प्रतिशत था। हालांकि अलग-अलग यह उपकर नगण्य प्रतीत होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह बड़ी रकम के बराबर होते थे। इस प्रकार गांव के सभी प्रकार के राजस्व अभिलेख 17वीं शताब्दी के मध्य से किसानों की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति का प्रमाण देते हैं।

1683 में निवाई परगना के किसानों पर दोहरा भोम कर लगाया गया। जब आमिल ने उनसे प्रत्येक जब्ती बीघे पर एक टका और प्रत्येक बटाई आदमी पर एक सेर भोम कर के रूप में देने के लिए कहा तो किसानों ने जवाब दिया कि वह पहले से ही गजसिंह राजावत (निवाई के पारंपरिक भोमिया) को इस भोम कर का भुगतान कर रहे थे। फिर भी आमिल ने न केवल इस विरोध को नजरअंदाज किया बल्कि एक शेर प्रति बटाई मन की दर से एक नया पटवारा उपकर लगा दिया।37

इतना ही नहीं, परगना अधिकारियों ने उत्पीड़न के माध्यम से किसानों के दुखों को अत्यधिक बढ़ा दिया। 1666 में, परगना खोहरी में किसानों की तुलना में अधिक संख्या में सेहना नियुक्त किए गए थे जो कि किसानों पर अत्याचार करते थे।38 इसके अतिरिक्त 1616-63, 1694-95 और 1717-18 में इस क्षेत्र में गंभीर अकाल पड़े, जिसके कारण कृषि उत्पादन में भी गिरावट दर्ज की गई। किसानों का जीवन दुख, दरिद्रता और अनेक परेशानियों से भर गया और वे पूरी तरह से साहूकारों पर निर्भर हो गए।39

मेवात के किसानों ने न केवल इजारा प्रथा का विरोध किया बल्कि उनसे वसूले जाने वाले गैर प्रथागत शुल्कों को भी नाजायज माना। प्रारंभ में किसानों ने पटेलों के साथ मिलकर मुगल साम्राज्य से इजारा पर गांवों के आवंटन, इसके तहत लगाए गए करों और मनमानी के खिलाफ शिकायत की और अनुरोध किया कि इस प्रथा और अनैतिक करों को बंद कर दिया जाए और शाही मनसबदारों को आमेर शासको को उनकी जागिरों का इजारा देना बंद करने का आदेश दिया जाए।40

जब किसान याचिका दायर करने की नियमित पद्धति से राहत पाने में असफल रहे तो उन्होंने अंतिम उपाय के रूप में करों के भुगतान का विरोध किया। मुगल काल के अंत के राजस्थानी स्रोतों में किसानों की अवज्ञा, विद्रोह और आमेर राज्य के साथ उनके आगामी संघर्षों के उदाहरण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रारंभिक मुगल काल में भी मेवात में ऐसे किसान विरोध अनुपस्थित नहीं थे। उदाहरण के लिए, 15वीं सदी की शुरुआत में, मेवात के शासक कुलीन खानजादों के दमनकारी भूराजस्व प्रशासन के खिलाफ नूंह, फिरोजपुर झिरका के आसपास एक शक्तिशाली मेव विद्रोह हुआ। भूराजस्व का भुगतान न करने के कारण खानजादा शासक अहमद खान मेवाती द्वारा बड़ी संख्या में मेव किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें खानजादा राज्य की राजधानी इंदौर के किले के निर्माण के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया।41

अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अलवर परगना के कुछ गांवों में एक ओर मेव किसान विद्रोह हुआ। विद्रोही किसानों ने पिछले कुछ समय से अपना राजस्व नहीं चुकाया था और वर्षों से राजस्व अधिकारियों को परेशान कर रहे थे एवं उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। मुगल सेना द्वारा उनके विद्रोह को कुचल दिया गया और उनके गांव को नष्ट कर दिया गया।42

जहांगीर के शासनकाल के शुरुआती दिनों में एक और शक्तिशाली मेव विद्रोह हुआ। मेवात का शाही फौजदार, अलफ खान की सेना ने मेवात के मेव भोमियों की गढियों को नष्ट कर दिया और कई मेव विद्रोही एवं भोमिया को गिरफ्तार कर लिया गया।43 शाहजहां के शासनकाल में भी मेव विद्रोह देखा गया, खिमत परस्त खान (रिदा बहादुर) के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ने कई विद्रोही मेवों की हत्या कर दी और बड़ी संख्या में मेव महिलाओं और बच्चों को कैदी के रूप में आगरा ले आए।44 बाद में, 1650 में, शाहजहां ने आमेर प्रमुख मिर्जा राजा जयसिंह को सहर सरकार के कामां और पहाड़ी परगने के विद्रोही मेवों का सफाया करने और उन जागीरदारों या जमींदारों को कड़ी सजा देने का आदेश दिया जिन्होंने अपने गांवों में विद्रोहियों की रक्षा करने की कोशिश की थी। उन्होंने जागीरदारों को अपने अधिकार क्षेत्र के विद्रोहियों को कैद करने का भी आदेश दिया। अंततः आमेर राजा की सेना ने उपरोक्त परगने में कई मेव विद्रोहियों को पकड़ लिया।45

1709 में, परगना खिलोहरा के आमिल ने चिंतित होकर रिपोर्ट दी कि कई गांवों (नंदेरी, जवाली, हनौता, रनौली, गंगावास, काठमानो, अखु, काकर, भेलपुर, नानुपुर, वागर, विजवार, ममाना, पिहावती, मनपुर आदि) के किसानों ने हासिल की राज्य को देय पूरी फसल खा ली है और शेष गांवों से राजस्व वसूलने के लिए दीवान से सवारों की एक बड़ी सेना भेजने को कहा था।46

1712 में जब फिरोजपुर झिरका और तिजारा परगना का इजारा आमेर राजा द्वारा ले लिया गया तो किसानों ने उनके आमिल को राजस्व देने से इनकार कर दिया और इसकी बजाय मुगल राज्य के आमिल यानी शाही मनसबदार को राजस्व देने का फैसला किया। जब यहां के किसान पटेलों के नेतृत्व में, विद्रोह में उठे, तो आमिल को विद्रोही किसानों से भूराजस्व इकट्ठा करने के लिए एक बड़ी सेना के साथ भेजा गया, इससे भीषण युद्ध हुआ। जिसमें एक ओर 60 किसान मारे गए और कई घायल हो गए, वहीं दूसरी ओर आमेर सेना के डिप्टी कमांडर इन चीफ मोहम्मद दौलत खान कई सैनिकों के साथ मारे गए। कई किसानों और पटेलों को सेना ने गिरफ्तार कर लिया जबकि जैसर, अलीपुर, खोरा, मोरा और कोमोहेरा गांव के किसान काला पहाड़ (फिरोजपुर झिरका और रामगढ़ की अरावली पहाड़ियां) में भाग गए। आखिरकार सेना इन गांवों से 3000 मन अनाज और 13 घोड़े इकट्ठा करने में सफल रही।47

लगभग उसी समय परगना खोहरी और बहादुरपुर में किसानों का विरोध शुरू हो गया, जब आमेर राजा के आमिल, जिन्होंने इन परगनों का इजारा ले लिया था, ने 28 रुपए की दर से एक नया उपकर अर्थात भोम कर लगा दिया। विद्रोही किसानों ने तर्क दिया कि ये परगने राजा की वतन जागीर का हिस्सा नहीं थे और ने ही वे उनकी रैयत हैं, वे तो मुगल सम्राट की रैयत हैं, इजारा प्रणाली के तहत लगाए गए कर नियमित भूमि राजस्व प्रणाली का हिस्सा नहीं थे, इसलिए गैर प्रथागत थे। राजा को ऐसे कर लगाने का कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं था, इसलिए उन्होंने नए उपकरों का भुगतान

नहीं करने का निर्णय लिया है। आमेर राजा ने विद्रोह को कुचलने में आमिल की सहायता के लिए 1000 घुड़सवार सैनिक भेजे। इसके बाद कई गांवों में किसानों और सेना के बीच हुए सशस्त्र संघर्ष में बड़ी संख्या में किसान मारे गए।48

1761 में जब आमेर राजा ने परगना बयाना का इजारा शाही मनसबदार अमिर खान से छीन लिया तो किसानों का विरोध इतना मजबूत था कि आमेर फौजदार की सेना 138 गांवों में से केवल 31 से भूमि राजस्व एकत्रित करने में कामयाब रही।49 1731 में परगना पहाड़ी के आमिल ने आमेर के दीवान को सूचना दी कि शाही मनसबदार हसन खान द्वारा इजारा में परगना आमेर राजा को हस्तांतरित करने के विरोध में 44 गांवों के मेव किसानों ने अपना भूराजस्व जमा नहीं किया है।50 1731 में एक हरकरा ने आमेर के दीवान को अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया कि फौजदार वाजिद खान और किशन सिंह नरूका की सेना ने परगना खोहरी और पहाड़ी में बड़ी संख्या में मेव गांवों को नष्ट किया और लूट लिया है जबकि कई किसान घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए तथा अन्य भाग गए। आखिरकार सेना 78 घोड़ों और कई मवेशियों को पकड़ने में कामयाब रही। इस रिपोर्ट में फौजदारों की सेना के लूटपाट का गांव बार विस्तृत विवरण दिया गया है।51 1725 ई. में अलवर परगना के शाही मनसबदार हसन खान कोका ने शिकायत की कि 26 गांवों ने आमिलों को रबी की भूमि का राजस्व का भुगतान नहीं किया है। फौजदार को इन विद्रोही गांवों को भारी हाथ से कुचलने के आदेश दिए गए थे।52

परगना खोहरी से 1732 ई. की एक देहाई-फेहरिस्त, इजारा पर सौंपे गए गांवों में अशांति पर प्रकाश डालती है। जब बमरौली गांव के किसानों ने इजारा प्रणाली के तहत अपने भूराजस्व का भुगतान करने से इंकार कर दिया तो फौजदार की सेना ने उनकी पूरी फसल और मवेशियों को जब्त कर लिया। इसी तरह जब डोली और बड़खेड़ा गांव के किसानों ने इजारेदार के आमिल को भूराजस्व देने से इंकार कर दिया तो सेना को उन्हें दंडित करने के लिए भेजा गया। फौजदार की सेना को भी फसल तथा मवेशियों को जब्त करने के लिए भेजा गया।53 इस प्रकार इजारा व्यवस्था के तहत उन किसानों की पूरी संपत्ति (फसलें और मवेशी) जब्त कर ली जाती थी जो भूराजस्व और अन्य करों का भुगतान नहीं करते थे।

इस प्रकार के और भी कई संघर्ष हुए होंगे जो उपलब्ध दस्तावेजों में दर्ज नहीं हैं। दूसरी ओर ऐसे कुछ उदाहरण है जहां आमेर के आमिलों ने प्रभावित किसानों के साथ समझौता किया और उन्हें इस वादे के साथ मुगल दरबार में याचिका दायर करने से रोका कि आमेर राज्य किसानों से गैर प्रथागत करों की वसूली नहीं करेगा। उपरोक्त उदाहरण स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि इजारा प्रथा मुगल काल के अंत के बाद-बाद किसानों के लिए एक दमनकारी प्रथा में बदल गई। किसानों पर विभिन्न प्रकार के गैर प्रथागत कर लगाए गए। यहां तक की पेशकश के रूप में इजारेदारों द्वारा शाही मनसबदारों को दिए जाने वाला गैर प्रथागत कर विरार भी किसानों से ही बसूल किया गया। किसानों ने इस प्रथा को अन्यायपूर्ण, अनैतिक तथा अव्यावहारिक माना। इसके खिलाफ किसान प्रतिरोध के विभिन्न रूप जैसे मुगल दरबार में याचिकाएं भेजना, इजारेदारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना तथा फसल खराब होने पर गांवों और खेतों को छोड़ देना आदि शामिल थे। जिसके परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी के दौरान मेवात क्षेत्र में कृषि उत्पादन एवं व्यापार वाणिज्य में उल्लेखनीय गिरावट आई।

इजारा की प्रथा के खिलाफ किसानों के बीच व्यापक असंतोष और अशांति को प्रकट करते हुए राजस्थानी दस्तावेज हमें ग्रामीण इलाकों में कई विद्रोही जमींदारों के उत्पीड़न के बारे में बताते हैं। इन जमींदारों को भोमिया कहा जाता था। भोमिया भूमि पर उसकी बेहतर उपज में विभिन्न प्रकार के अधिकारों के हकदार थे। उनके पास बड़ी भूमि जोत होती थी जिसका मूल्यांकन भूराजस्व की कम दरों पर किया जाता था।54 18वीं शताब्दी के कुछ दस्तावेजों के अनुसार भोमिया को अपनी सकल उपज का 25 प्रतिशत भूराजस्व के रूप में देना पड़ता था।55 भोमिया द्वारा नई भोम का निर्माण एवं विस्तार रैयती गांवों पर कब्जा करके किया जाता था। उदाहरण के लिए, 1693 में रूपसिंह कल्याणोत ने किसानों के विरोध के बावजूद भी कई रैयती गांवों पर कब्जा कर लिया।56

17वीं शताब्दी के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों ने इस क्षेत्र के भोमियों की स्थिति को प्रभावित किया, जिससे सभी भोमियों पर प्रभाव पड़ा। इसके कारण पुरानी जाति एवं कुल के भोमिया जैसे खानजादा, मेव और चैहान आदि, बाहर आ गए और उनका स्थान अन्य राजपूत भोमियों ने ले लिया। परिणामस्वरुप नए और पुराने जमींदारों के मध्य विद्रोह की शुरुआत हुई। 1649-50 में परगना कामां और पहाड़ी के मेव जमींदारों का विद्रोह इसका एक प्रमुख उदाहरण है।57

इस क्षेत्र में प्रमुखतः जाट और नरुका भोमिया ने उपद्रव मचाया हुआ था। नरुका और अन्य राजपूत भोमियों का जमींदारी अधिकार को लेकर आमेर राजा के साथ संघर्ष था। मेवात के परगनों में नरुका, कल्याणोत और पंचनौत राजपूत अपनी जमींदारी का विस्तार करना चाहते थे जबकि आमेर राजा का लक्ष्य अलवर की सरकार को अपने वंशानुगत वतन में शामिल करना था।58 उसके विस्तारवादी मंसूवों को रोकने के लिए जाटों ने नरूका और अन्य लोगों का समर्थन किया। इस समय नरूका और जाट मेवात के परगनों पर अपनी जमींदारी का दावा मजबूत कर रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य पड़ोसी परगने में अपनी जमींदारी का विस्तार करना था। वे विभिन्न जातियों के भोमिया के साथ सामरिक गठबंधन में चले गए। पूर्वी राजस्थान में उनकी महत्वाकांक्षा आमेर शासकों के हितों से टकराती थी जो स्वयं अलवर सरकार में अपने वतन का विस्तार करने के लिए अशांत परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए उत्सुक थे।59

मेवात कई वर्षों तक विद्रोहियों और साम्राज्यवादियों के लिए युद्ध का मैदान बना रहा। मेवात में विभिन्न जातियों के जमींदारों ने पहले ही मुगल जागीरदारों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बना लिया था। यह क्षेत्र नरुका भोमिया विद्रोह का केंद्र था। राव हाथीसिंह, किशनसिंह और उदयसिंह नरूका विद्रोह के नेता थे। 1686 तक उन्होंने एक विशाल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था जिसमें अलवर सरकार के कई परगने शामिल थे।60 बताया जाता है कि जलालपुर, भारकोल और उमर्नी के किसानों ने नरुकों को अपना समर्थन दिया था।61 नरुकों द्वारा पैदा की गई अशांति के कारण

सभी व्यापारिक मार्ग बंद कर दिए गए।62 1702 में नरुकों ने एक साथ मेवात के आठ महालों में विद्रोह कर दिया।63 भारकोल और जलालपुर के जागीरदार सैयद कासिम को आमेर राजा से पूछना पड़ा कि या तो वह अपने चाकर उदयसिंह नरूका को अपनी जागीर से निकाल दे या शाही दरबार में मुकदमे का सामना करें।64 1703 में नरुकों ने कस्बा सांचेरी में एक मेले में एक गुप्त सम्मेलन का आयोजन किया। उस सम्मेलन में उन्होंने अपनी आकांक्षाओं को स्पष्ट किया। उनकी प्रमुख मांग यह थी कि उन्हें औपचारिक रूप से उन परगनों के भोमियों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए जो उनके प्रभावी नियंत्रण में थे।65 इस निर्णय के बाद राव उदयसिंह ने एक तरफ खुद को जमीदार घोषित कर दिया और भोमि, फसलाना और खरच उपकर पर अपना दावा ठोक दिया।66

कल्याणौत भोमिया ने ज्यादातर समय जाट और नरूका जमींदारों के सहयोगी के रूप में विद्रोह किया। उनके पास टोड़ा भीम, माचिलपुर और गुड़हला परगना में व्यापक जमींदारियां थी। उनका लक्ष्य अपनी जमींदारी का और अधिक विस्तार करना था। 1687 मे नरूका और कल्याणौत भोमिया ने मिलकर बहतरी के कुछ गांवों पर कब्जा करने का प्रयास किया।67 उनके इस कदम ने उन्हें मेवात के एक बड़े जमींदार विद्रोह के भंवर में ला खड़ा किया।

18वीं शताब्दी के अंत में जमींदारों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। कामां, पहाड़ी और अऊ के परगनों में जाटों ने काफी हद तक अपनी खोई जमीन वापस पा ली। जब 1702 में, नवाब मुख्तार खान उनके खिलाफ अभियान करने आए तो उन्होंने आगरा के चारों ओर विद्रोह कर दिया।68 जैसे-जैसे मुख्तार खान की कमजोरी के संकेत फैलते गए, विद्रोही भोमिया को मेवात में और अधिक आक्रामक होने का साहस मिल गया। बहतरी के आसपास के परगनों में भोमिया विद्रोह ने गंभीर रूप धारण कर लिया। 1704 में भोमिया और किसानों का विद्रोह आगरा से अजमेर तक फैल गया।69 बहतरी के फौजदार श्यामसिंह राजावत ने दो अर्जदास्तों में लिखा था कि न तो भोमिया और न ही किसान ही हमसे डरते हैं। भोमिया लोग तेजी से अहंकारी होते जा रहे हैं और हमारे पास उनसे शक्ति से निपटने के लिए पर्याप्त बल नहीं है।70 मेवात में विद्रोहियों को तब काफी ताकत मिली, जब मेवों के पहात पाल के जमींदार दुरा मेव ने उनका समर्थन किया।71 आमेर राजा दुरा मेव को अपने वतन का वंशानुगत शत्रु मानते थे। दुरा मेव और आमेर घराने के बीच लगातार दुश्मनी थी, जिसे मिर्जा राजा जयसिंह को कामां की अपनी जमींदारी से निष्कासित करने पर मजबूर किया, जिसका पुनर्वास चूड़ामण जाट द्वारा किया गया था।72 जमींदारों ने कामां में और अधिक उत्पाद मचाया और कुछ समय बाद परगने पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया।73 जब खोहरी परगने की जमींदारी आमेर राजा को हस्तांतरित कर दी गई तो शाही फौजदार और राजा के खिलाफ जमींदारों का व्यापक विद्रोह हुआ।74

सभी विद्रोही जमींदार एक दूसरे पर निर्भर थे। तीव्रता प्रसार और अवधि के संदर्भ में नरूका भोमिया के विद्रोह जाटों के विद्रोह के बाद दूसरे स्थान पर थे। उनके विद्रोह का चरम काल भी जाट विद्रोह के साथ ही मेल खाता था। जहां मेवात विद्रोह में नरुका भोमियों का नेतृत्व राव हाथीसिंह ने किया, वहीं मालपुरा में उनका नेतृत्व फतेहसिंह और प्रतापसिंह ने किया।75 नरुका विद्रोह में मेवात के 15 परगना में अव्यवस्था पैदा कर दी।76

जमीदारों ने खुले तौर पर मुगलों के अधिकारों की अवज्ञा की और जागीरदारों को राजस्व देने से इंकार कर दिया। अपनी जमींदारी से बेदखल किए गए कुछ जमींदारों ने अपनी जमींदारी वाले गांव में खेती की अनुमति नहीं दी। जमींदारों का विद्रोह करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि वे जो भूराजस्व किसानों से वसूल करते थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा जागीरदारों द्वारा उनसे छीन लिया जाता था और उनके पास नाममात्र का अधिशेष बचता था। इस प्रकार देखें तो किसानों और जमींदारों की स्थिति एक समान ही थी। इसलिए किसान और जमींदारों का विद्रोह हमें साथ-साथ देखने को मिलता है।

2. निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में पूरे मेवात में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। यह स्पष्ट है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल राजस्व प्रशासन के कमजोर होने और कृषि संबंधी अशांति की बढ़ती घटनाओं के मध्य नजर शाही जागीरदारों/मनसबदारों को अपनी जागीरों से भूराजस्व एकत्रित करना कठिन लगता था, इसलिए उन्होंने उभरती हुई राजनीतिक शक्तियों, विशेष रूप से आमेर राजा को भूमि इजारा पर सौंपना शुरू किया। इजारादारी व्यवस्था के अंतर्गत कई कारकों ने मिलकर किसानों का खूब शोषण किया। जैसे राजस्व मांग की दर पहले से ही काफी उच्च थी; इसके अतिरिक्त नए गैर परंपरागत कर भी किसानों पर थोपे गए; किसानों को भोमिया द्वारा भी आतंकित किया जाता था और अवैध करों की वसूली की जाती थी; कर न देने पर किसानों के पशुधन एवं संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था; इसके अलावा समय-समय पर सूखा भी पड़ता रहा। इन सभी कारकों ने मिलकर किसानों के विरोधों को भड़काया।

इस प्रकार, इस प्रणाली ने किसानों का राज्य के ऊपर जो विश्वास था, उसे खत्म कर दिया और उन्हें विरोध प्रदर्शनों, विद्रोहों और गांवों के परित्याग के माध्यम से अपने स्वयं के कर्तव्यों का उल्लंघन करने के लिए उकसाया, जो वास्तव में अनेक वर्ग संघर्ष की स्पष्ट अभिव्यक्ति बन गया। राजनीतिक रूप से इस प्रथा ने एक सैन्य राजकोषीय राज्य के लिए आधार तैयार किया लेकिन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण संसाधनों को कृषि, कारीगर निर्माण और व्यापार जैसी उत्पादक गतिविधियों से दूर कर दिया और सामाजिक रूप से इसने किसानों के शोषण को और भी तेज कर दिया। जिसके कारण किसानों एवं स्थानीय जमींदारों को सशस्त्र विद्रोह करना पड़ा। विद्रोह के परिणामस्वरूप ही जाटों ने भरतपुर में एक जाट राज्य स्थापित किया जबकि नरूकों ने विद्रोह के माध्यम से अलवर राज्य में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कुछ अन्य राजपूत भोमियों ने विद्रोह के कारण नये ठिकानों का निर्माण किया जबकि अन्यों ने अपनी जमींदारी का काफी विस्तार किया। बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान एवं अन्य ग्रामीण अमीर जमींदारों की श्रेणी में शामिल हो गए जबकि दूसरी ओर मेव, खानजादा और चैहान राजपूत जैसे पारंपरिक रूप से प्रभावित समूह को अपनी जमींदारी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार विद्रोह के कारण मेवात क्षेत्र में शाही सत्ता का पूर्णतः ह्रास हो गया।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Arjadast, month vadi 5, 7, V.S. 1746/1689 A.D.; Margasirsa Sudi 3, V.S. 1761/1704 A.D.
S. Nurul Hasan, "Further Light on Zamindars under the Mughals: A Case Study of Mirza Raja Jaisingh under Shah Jahan," Proceedings of the Indian History Congress, Session 39, (Hyderabad, 1978): 497-502.
Arjadast, month vadi 6, V.S. 1761/1704 A.D.; Paush vadi 15, V.S. 1761/1704 A.D.; Chaitra vadi 14, V.S. 1769/1712 A.D.; Sawan Sudi 3, V.S. 1771/1714 A.D.
Arjadast, Vaishakh Sudi 3, V.S. 1741/1684 A.D.
Irfan Habib, Agrarian System of Mughal India 1556-1707, (New Delhi: Oxford University Press, 1999), 279.
Arasatta, Pargana Khohri, V.S. 1769-73/1712-16 A.D.
Dastur Amal, Pargana Khohri, 1682 A.D.
Arasatta, Pargana Kotla, V.S. 1722/1665 A.D.; Pargana Malarna, V.S. 1722/1665 A.D.; Pargana Chatsu, V.S. 1721/1664 A.D.; Pargana Niwai, V.S. 1721/1664 A.D.
Arsatta, Pargana Niwai, V.S. 1721/1664 A.D.; Pargana Kotla, V.S. 1722/1665 A.D.
Arsatta, Pargana Kotla, V.S. 1722/1665 A.D.; Pargana Udai, V.S. 1769/1712 A.D.
Arsatta, Pargana Malarna, V.S. 1722/1665 A.D.
Arsatta, Pargana Bahtari, V.S. 1722/1665 A.D.; Pargana Pahaadi, V.S. 1773/1716 A.D.
Arsatta, Pargana Bahtari, V.S. 1722/1665 A.D.
Arsatta, Pargana Banawar, V.S. 1748/1691 A.D.; Pargana Punkhar, V.S. 1797/1740 A.D.; Pargana Bhusawar, V.S. 1773/1716 A.D.
Arasatta, Pargana Niwai, V.S. 1721/1664 A.D.; Pargana Khohri, V.S. 1721/1664 A.D.
Arasatta, Pargana Bahtari, V.S. 1722/1665 A.D.; Pargana Maujpur, V.S. 1771/1727 A.D.
Arasatta, Pargana Atela, V.S. 1784/1727 A.D.
Arasatta, Pargana Bahtari, V.S. 1722/1665 A.D.; Pargana Dausa, V.S. 1722/1665 A.D.; Pargana Fagi, V.S. 1754/1697 A.D.
Arasatta, Pargana Bayana, V.S. 1750/1693 A.D.
Arasatta, Pargana Fagi, V.S. 1754/1697 A.D.
Arasatta, Pargana Hindaun, V.S. 1769/1712 A.D.; Pargana Udai, V.S. 1769/1712 A.D.
Arasatta, Pargana Malpura, V.S. 1771/1714 A.D.; Pargana Udai, V.S. 1769/1712 A.D.
Arasatta, Pargana Dausa, V.S. 1722/1665 A.D.; Pargana Udai, V.S. 1769/1712 A.D.; Arasatta, Pargana Malpura, V.S. 1771/1714 A.D.
Arasatta, Pargana Bahtari, V.S. 1765/1708 A.D.; Pargana Dausa, V.S. 1722/1665 A.D.; Pargana Niwai, V.S. 1721/1664 A.D.
Arasatta, Pargana Bahtari, V.S. 1722/1665 A.D.
Arasatta, Pargana Bahtari, V.S. 1763/1706 A.D.
Dilbagh Singh, Caste and Structure of Village Society in Eastern Rajasthan During Eighteenth Century, (Indian History Review, Vol. 2, 1976), 299-311.
Arasatta, Pargana Malpura, V.S. 1771/1714 A.D.
Arasatta, Pargana Toda Raisinghpur, V.S. 1774/1717 A.D.
Arasatta, Pargana Bayana, V.S. 1750/1693 A.D.; Pargana Maujpur, V.S. 1771/1727 A.D.
Arasatta, Pargana Todabhim, V.S. 1790/1733 A.D.
Arasatta, Pargana Hindaun, V.S. 1769/1712 A.D.
Pargana Pahari, V.S. 1773/1716 A.D.
Arjadast, Qati Sudi 14, V.S. 1760/1703 AD; Falgun Sudi 12, V.S. 1761/1704 AD.
Arjadast, Jeth Sudi 12, V.S. 1740/1683 AD.

Amer Record Code, Chettra Sudi 13, V.S. 1773/1716 AD.
Arjadast, Asoj Vadi 9, V.S. 1751/1694 AD.
Surajbhan Bhardwaj, State and Peasant Society in Medieval North India, (Delhi: Premius Books, 2019), 137.
Bond no. 13, book number no. 4, Rajasthan State Archives, Bikaner.
Bond no. 13, book number no. 1, Rajasthan State Archives, Bikaner.
Ratan Lal Mishra, History and Culture of the Qayamkhani Dynasty, (Jodhpur: Rajasthani Granthagar, 2002), 91.
H. Beveridge, trans. Mathir-ul-Umara, (Patna: Janaki Prakashan, 1979), 813.
Mohinder Singh Khadgawat, Mughal India and Rajput Rulers in the Light of Persian Decrees, (Bikaner: Rajasthan State Archives, 2010), 122-24.
Arjadast, Kartik Vadi 14, V.S. 1766/1709 A.D.
Arjadast, Asoj Vadi 5, V.S. 1769/1712 A.D.
Arjadast, Mangsir Vadi 1, V.S. 1761/1704 A.D.; Chetra Vadi 14, V.S. 1761/1704 A.D.; Vaisakha Sudi 7, V.S. 1769/1712 A.D.
Arjadast, Phalguna Vadi 13, V.S. 1752/1695 A.D.
Arjadast, Pargana Pahaadi, V.S. 1788/1731 A.D.
Letter to Amil, Pargana Khohri, V.S. 1791/1734 A.D.
Arsatta, Pargana Alwar, V.S. 1782/1725 A.D.
Dehai List, Pargana Khohri, V.S. 1789/1732 A.D.
S. P. Gupta, Agrarian System of Eastern Rajasthan, (Delhi, 1987), 130-40.
Arjadast, Sawan Vadi 9, V.S. 1783/1726 A.D.
Arjdast, Vaisakha Vadi 10, V.S. 1750/1693 A.D.
Gupta, Agrarian System of Eastern Rajasthan, 6.
R. P. Rana, Revel to Rulers, The Rise of Jat Power in Medieval India: 1665-1735, (Delhi: Manohar, 2006), 146.
R. P. Rana, Agrarian Revolt in New India during the Late 17th and 18th Century, (II Vol. 18, 1981), 318-22.
Arjdast, Maha Vadi 11, V.S. 1743/1686 A.D.
Arjdast, Bhadwa Sudi 13, V.S. 1749/1693 A.D.
Arjdast, Sawan Sudi 4, V.S. 1749/1692 AD.
Arjadast, Bhadwa Vaadi 5, V.S. 1759/1702 AD.
Arjadast, Kati Vadi 6, V.S. 1759/1702 AD.
Arjadast, Vaishakh Vaadi 3, V.S. 1760/1703 AD.
Arjadast, Kati Vadi 14, V.S. 1744/1683 AD.
Arjadast, Falgun Vaadi 4, V.S. 1759/1702 AD.
Arjadast, Mangsir Vadi 3, V.S. 1760/1703 AD.
Arjadast, Asoj Vadi 14, V.S. 1761/1704 AD.
Arjdaast, Ashadh Sudi 5, V.S. 1766/1709 AD.
Arjadast, Ashadh Vadi 14, V.S. 1766/1709 AD.
Arjdaast, Ashadh Sudi 8, V.S. 1766/1709 AD.
Arasatta, Pargana Khohri, V.S. 1769/1712 AD.
Arjadast, Ashadh Sudi 14, V.S. 1740/1681 AD.
Arjadast, Asoj Vadi 4, V.S. 1749/1692 AD.